

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 10/प्र0अ0-भवन/जोन-2/शमन/10-11 दिनांक 16/04/2012

विनियमितीकरण

यह विनियमितीकरण उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत विनियमित किये जा रहे हैं, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक शमन मानचित्र विनियमित किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री सन्तोष गुप्ता पुत्र स्व0 मुन्नु लाल गुप्ता, श्री विनय गुप्ता व अन्य स्थल भवन संख्या-25/25, 27/27 एवं 41/51/19 चौक इलाहाबाद जोन संख्या (2) के अन्तर्गत दाखिल व्यवसायिक शमन मानचित्र का विनियमितीकरण निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह विनियमितीकरण अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
4. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
5. स्थल पर 06 वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक-गण का होगा।
6. रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य प्रस्तावना के अनुसार पूर्ण कराकर भू-गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात् ही एफ0डी0आर0 अवमुक्त की जायेगी।
7. स्थल का अधिभोग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुरूप ही किया जायेगा।
8. भू-स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
9. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
10. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
11. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
12. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
13. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

16.4.2012
(सीमा सिंह)




संयुक्त सचिव/प्र0अ0-भवन
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद

Received
Shruti Gupta
16/4/2012
9506129577

HOUSE NO.-25 CHOWK, ALLAHABAD, SANTOSH GUPTA


HOUSE OF RAMESH TANDON

HOUSE OF MOTI LAL SRIVASTAVA



LAYOUT PLAN

TYPICAL FLOOR PLAN (GROUND FL., FIRST FL. & SECOND FL. PLAN)



STAIR CASE SECTION

This map is prepared as per bhawan upvidhi 2008 & master plan 2021

SCALE = 1:100

ARCHITECT

ANIL K. GUPTA
B.Sc., B. ARCH.
ARCHITECT
Reg. No. CA/9812457

OWNER'S SIGN

Santosh Gupta
Gupta

AREA CHART

S.N.	REFERENCE	SQ.MTR.	%	F.A.R.
1.	PLOT AREA	588 SQ.MTR.		
2.	ROAD WIDENING AREA	28 SQ.MTR.		
3.	NET AREA	560 SQ.MTR.		
4.	GROUND COVERAGE	325.38 SQ.MTR.	58.10%	
5.	AREA OF ALL FLOORS			
A.	GROUND FLOOR	325.38 SQ.MTR.		288.32Sq.M.
B.	FIRST FLOOR	325.38 SQ.MTR.		288.32Sq.M.
C.	SECOND FLOOR	325.38 SQ.MTR.		288.32Sq.M.
6.	TOTAL ALL FLOORS AREA	976.4 SQ.MTR.		865.14Sq.M.
7.	F.A.R.	1.65		
8.	REQUIRED PARKING			
TOTAL COVERED AREA @ 2 EQ. CAR SPACE/100 SQ.MTR.				
COVERED AREA = 712.11 X 2 = 1424 CARS				
100				
9.	14 CAR SHOWN IN BASEMENT & OPEN SPACE			
10.	MUMTY & MACHINE ROOM AREA	25 SQ.MTR.		




COMPounding COMMERCIAL BUILDING ON PLOT NO. 27/27 CHOWK AND PLOT NO. 19/51/49 CHOWK, BELONGING TO SRI SHRICHAND GUPTA DIRECTOR GUPTA CRAINS AND STORAGE PVT.LTD. AND PLOT NO. 25/25 CHOWK BELONGING TO SANTOSH GUPTA

TERRACE PLAN

ELEVATION

SECTION AT - AA



HOUSE NO.-25 CHOWK, ALLAHABAD, SANTOSH GUPTA



LAYOUT PLAN

TYPICAL FLOOR PLAN (GROUND FL., FIRST FL. & SECOND FL. PLAN)

BASEMENT & GRID PLAN



TO DARAGUN
30M. WIDE OLD G.T. ROAD
TO KHULBAD

TO DARAGUN
30M. WIDE OLD G.T. ROAD
TO KHULBAD



AREA CHART

S.N.	REFERENCE	SQMT.	%	F.A.R.
1.	PLOT AREA	588 SQ.MTR.		
2.	ROAD WIDENING AREA	28 SQ.MTR.		
3.	NET AREA	560 SQ.MTR.		
4.	GROUND COVERAGE	325.38 SQ.MTR.	58.10%	
5.	AREA OF ALL FLOORS			
A.	GROUND FLOOR	325.38 SQ.MTR.		288.32Sq.M.
B.	FIRST FLOOR	325.38 SQ.MTR.		288.32Sq.M.
C.	SECOND FLOOR	325.38 SQ.MTR.		288.32Sq.M.
6.	TOTAL ALL FLOORS AREA	976.4 SQ.MTR.		865.14Sq.M.
7.	F.A.R.	1.65		
8.	REQUIRED PARKING			
TOTAL COVERED AREA @ 2 FQ. CAR SPACE/100 SQ.MTR. COVERED AREA - 712.11 X 2 = 1424 CARS 100				
9.	14 CAR SHOWN IN BASEMENT & OPEN SPACE			
10.	MUMTY & MACHINE ROOM AREA	25 SQ.MTR.		

STAIR CASE SECTION

This map is prepared as per bhawan upvidhi 2018 & master plan 2021


SCALE = 1:100

ARCHITECT


ANIL K. GUPTA
B.Sc., B. ARCHT.
ARCHITECT
Regd. No. CA/8012493

OWNER'S SIGN
Santosh Gupta

COMPounding COMMERCIAL BUILDING ON PLOT NO. 27/27 CHOWK AND PLOT NO. 195/149 CHOWK, BELONGING TO SRI SHRICHAND GUPTA DIRECTOR GUPTA CRAINS AND STORAGE PVT.LTD. AND PLOT NO. 25/25 CHOWK BELONGING TO SANTOSH GUPTA



TERRACE PLAN



SECTION AT-AA